30/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष सभी के प्रार्थीगण को समय समक्ष तामील होकर प्रपत्र, अनुपस्थित। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष का कहना है कि पेशी के रोज वकील की उपस्थिति नहीं हो पाई और न ही वकील की तरफ से प्रार्थी को उपस्थिति बाबत कोई हिदायत ही थी। इसलिए मामला एकतरफा पेशी व बदस्त हाजरी में खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता की चूक का खामियाजा प्रार्थी/फरीक को नहीं भोगना पड़े, इसलिए न्याय हित में अपील स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी का कहना है कि अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। प्रार्थी अनुपस्थिति व उपेक्षा के चलते मामला लंबा होता रहता है।

उभय पक्ष की दलीलों पर मनन करने के पश्चात् मामला पुनः बहाल ~~कर~~ इस शर्त पर किया जाना न्यायसंगत है कि अपीलार्थ पक्ष अब आगे कोई चूक नहीं करे। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण पुनः बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नियमित सुनवाई के क्रम में ली जावे। आगामी तारीख पेशी के उभय पक्ष उपस्थित हो।

पत्रावली फौरन शुमार होकर नंबर से कायम हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

30/7/19

Scanned by CamScanner